अति महत्वपूर्ण

सं. ई. 11021/01/2018-हिन्दी /1810-1910

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, दिनांकः 13.09.2018

विषयः 'हिन्दी पखवाड़ा, 2018' के अवसर पर माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार तथा माननीय मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार की ओर से जारी संदेश व अपील।

दिनांक 14.09.2018 को हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री महोदय और माननीय मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार द्वारा जारी संदेश और अपील जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी संगठनों के अध्यक्षों/प्रमुखों से अनुरोध है कि वे इन संदेशों व अपील के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इनमें निहित तथ्यों एवं भावनाओं को अपने संगठन में कार्यरत समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाएं। उनसे यह अनुरोध भी है कि अपने कार्यालयों से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में उपर्युक्त संदेशों और अपील को प्रकाशित करें।

(एम.सी. भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष 23714374

संलग्नकः यथोपरि

सेवा में,

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग/डेस्क/एकक।
2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी संगठनों के अध्यक्ष/प्रमुख।

प्रति सूचनार्थः

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री जी के निजी सचिव।
2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री जी के निजी सचिव।
3. सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) के प्रधान निजी सचिव।
4. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के संयुक्त सचिव (प्रशासन)/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/ आर्थिक सलाहकार के निजी सचिव।

सत्यमेव जयते

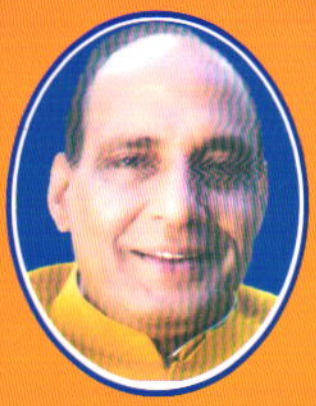

हिंदी दिवस 2018 के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का संदेश

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

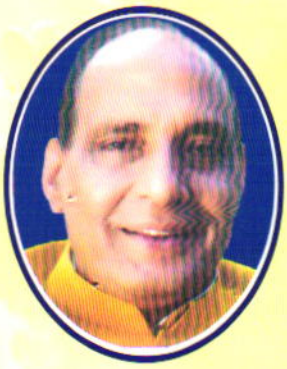

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH
गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

प्रिय देशवासी बहिनो एवं भाइयो !

हिंदी दिवस पर आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

भाषा, किसी भी राष्ट्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर की संवाहिका होती है और भाषायी एकता से ही राष्ट्र की अखण्डता सुदृढ़ होती है। कोई भी देश स्वभाषा के बिना अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को मौलिक रूप से परिभाषित नहीं कर सकता।

पुरातन काल से 'हिंदी' हमारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती आ रही है और आज वह भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ–साथ भारत के संविधान में वर्णित भावनात्मक एकता को मजबूत करने का भी माध्यम है। हिंदी ने भारतीय संस्कृति से संविधान निर्माण प्रक्रिया तक और पुरातन युग से स्मार्ट फोन के प्रयोग तक का लंबा सफर तय करते हुए हमारी सामासिकता को अक्षुण्ण रखने में महती भूमिका निभाई है और देशवासियों में अनेकता में एकता की भावना को भी पुष्ट किया है।

जिस देश के नागरिक अपनी भाषा में सोचें और लिखें, विश्व उस देश को सम्मान की दृष्टि से देखता है। भारत जैसे विशाल, बहुभाषी और प्रजातांत्रिक देश की चहुँमुखी विकास प्रक्रिया में हिंदी के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं की भी अहम भूमिका रही है। हमारे देश की सभी भाषाएँ और बोलियाँ हमारी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक धरोहर हैं और इनका प्रयोग एवं प्रचार–प्रसार करना, यह हमारा कर्तव्य है।

भारतीय संविधान द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 1949 को धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परंपराओं को जोड़ने की कड़ी और अधिकांश देशवासियों द्वारा बोली एवं समझी जाने वाली, 'हिंदी भाषा' को 'संघ की राजभाषा' के रूप में चुना गया है। इसके साथ ही, संघ सरकार को यह महत्वपूर्ण दायित्व भी सौंपा गया कि वह अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली एवं पदावली को आत्मसात करते हुए हिंदी भाषा का विकास करे ताकि वह भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।